हमेशा प्रेम की भाषा बोलिए, इसे बहरे भी सुन सकते है और गूंगे भी समझ सकते है।
– अज्ञात

जहरीली शराब के शिकार

अब तक का अनुभव बताता है कि सांप के गुजर जाने के बाद लकीर पीटने वाली ऐसी कवायदें तभी तक चलती हैं जब तक अस्पताल में दम तोड़ते मरीजों की तस्वीरों को मीडिया में जगह मिल पाती है।

अनूप शर्मा।

उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के एक सीमावर्ती गांव में किसी की मृत्यु पर तेरहवीं की रस्म के लिए इकट्ठा हुए आसपास के चार–पांच गांवों के लोग एक साथ जहरीली शराब के शिकार हो गए। संयोग यह कि ऐसी ही घटना ठीक उसी दिन उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के पास पड़ने वाले कस्बे कुशीनगर में भी दोहराई गई। अगले दिन हरिद्वार, सहारनपुर, कुशीनगर और मेरठ के अस्पतालों में एक के बाद एक होने वाली मौतों का जो सिलसिला शुरू हुआ, उससे मृतकों की संख्या 80 के पार चली गई थी।

अब तक का अनुभव बताता है कि सांप के गुजर जाने के बाद लकीर पीटने वाली ऐसी कवायदें तभी तक चलती हैं जब तक अस्पताल में दम तोड़ते मरीजों की तस्वीरों को मीडिया में जगह मिल पाती है। गरीबों

की जान अपने देश में इतनी सस्ती है कि ऐसी घटनाएं सुर्खियों में आकर भी जन मानस में कोई हलचल नहीं पैदा कर पातीं और इनका खबर में रहना भी बमुश्किल एक–दो दिन की बात होती है।

स्वाभाविक है कि सरकारें भी जहरीली शराब के तांडव पर ऐसी रस्मी कवायदों से आगे बढ़ना जरूरी नहीं मानतीं। यह सचमुच विचित्र है कि पूरी दुनिया शराब को बाकी हजारों सामानों की तरह सिर्फ एक उत्पाद भर मानती है, लेकिन भारत में आम लोगों से कहीं ज्यादा राज्य सरकारें इसे नैतिकतावादी नजरिए से देखती हैं। गुजरात और बिहार जैसे राज्य मद्य निषेध के नाम पर पुलिसिया सख्ती से इसका प्रयोग पूरी तरह बंद कर देने की खुशफहमी में हैं, जबकि जिन राज्यों में इसे गैरकानूनी घोषित नहीं किया गया है, वहां अधिकाधिक टैक्स के जरिए इसे ज्यादा से ज्यादा महंगी करने का रुझान देखा जा रहा है।

नतीजा यह कि अमीर तो अपने शौक हर कीमत पर पूरे करते हैं, लेकिन गरीबों को उन अवैध भट्ठियों का सहारा लेना पड़ता है, जो शराब के नाम पर अक्सर मौत ही बेचती हैं। ऐसी हर घटना के बाद संबंधित राज्य सरकारें अपने पुलिस और आबकारी विभागों पर डंडा फटकार कर इन भट्ठियों में कुछ तोड़–फोड़ करा देती हैं, लेकिन शराब से जुड़ी अपनी समझ पर पुनर्विचार के लिए हरगिज तैयार नहीं होतीं। अभी तो यह प्रार्थना करना ही बचा है कि इस बार की ट्रैजडी जल्दी अपना दोहराव लेकर न आए।

तन्हा जिंदगी

डॉ. अर्चिका दीदी।

धर्म-दर्शन

बुधि का हर जीव, तेरे पर हंसता है, और तुझे गाँव का गँवार कहता है। ऐ शहरी जंतु, सबको तेरी औकात पता है, तू तो गटर के पानी मे नहाता है।
मिट गया यहाँ हर इंसान, गुलामी करते करते, तू इसे रोजगार और तरक्की कहता है। वापस आजा अपनों के पास, अपने पते पर, जहां प्रेम के खजाना हमेशा भरा रहता है। मोबाईल नम्बरों मे सारे रिश्ते कैद रहते हैं, तू इन मशीनों को परिवार कहता है।
बच्चे बाल घर मे रोते–बिलखते हैं, और माँ–बाप व्रध आश्रम मे कराहते रहते हैं। माँ–बाप को छोड़, मजारों मे भगवान ढूंढ़ता है, पर आज जनाजों को कंधे तरसते रहते हैं, और तू फेसबुक मे सहारा ढूंढ़ता रहता है, नादान शहरी तू तो सांसें भी उधार की लेता है।

संपादकीय

खोजपरक माहौल का अंदाजा

अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (आईपी) सूचकांक में भारत आठ स्थानों की छलांग के साथ 36वें पायदान पर पहुंच गया है। पिछले साल वह 44वें स्थान पर था। यह सूचकांक अमेरिकी चैंबर आफ कॉमर्स के 'ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर' (जीआईपीसी) द्वारा जारी किया जाता है और इसके जरिये विभिन्न देशों के रचनात्मक और खोजपरक माहौल का अंदाजा मिलता है। जीआईपीसी ने इस बार इसके लिए 45 मानकों के आधार पर 50 अर्थव्यवस्थाओं का आकलन किया, जिसके आधार पर तैयार रिपोर्ट 'इंस्पायरिंग टुमॉरो' में कहा गया है कि इन 50 देशों में एक साल के अंदर सबसे ज्यादा सुधार भारत की स्थिति में आया है।

जीआईपीसी के मानकों में पेटेंट, कॉपीराइट और व्यापार गोपनीयता का संरक्षण आदि शामिल हैं। किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा लिखी या बनाई गई कोई रचना, संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, नाम अथवा डिजाइन आदि उस व्यक्ति अथवा संस्था की 'बौद्धिक संपदा' कहलाती है। अपनी इन कृतियों पर सर्जक व्यक्ति अथवा संस्था के अधिकार को 'बौद्धिक संपदा अधिकार' कहा जाता है। इसका एक पहलू रचनात्मक है तो दूसरा वाणिज्यिक या औद्योगिक। रचनात्मक कार्यों के लिए कॉपीराइट का अधिकार दिया जाता है ताकि कोई और उसे अपने नाम से चलन में न ला सके। व्यापारिक उद्देश्य से किए गए किसी आविष्कार को यह अधिकार पेटेंट के रूप में दिया जाता है ताकि कोई दूसरा उसका उपयोग आविष्कारक की अनुमति के बगैर न कर सके। सर्वप्रथम पांच सौ ईसा पूर्व में यूनान में किताबें खरीदने–बेचने के लिए बौद्धिक संपदा का उपयोग किया गया था। इसके बाद पंद्रहवीं शताब्दी में यूरोप में ज्ञान तथा विचार आदि को यह अधिकार प्रदान करने का सिद्धांत सामने आया था।

दरअसल विवाद के लिए यहां पर्याप्त गुंजाइश भी छोड़ी गई है। सरकार कह रही है कि नागरिकता कानून का एनआरसी से कोई लेना–देना नहीं है।

नया नागरिकता कानून

नवीन जोशी।

देश में नया नागरिकता कानून (सीएए) लागू होने के साथ ही उसे लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। तकरीबन एक महीने से इस कानून और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ कई विश्वविद्यालयों के छात्रों ने अभियान छेड़ रखा है। समाज के कई और तबकों के लोग भी इसके खिलाफ धरना–प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में इस मुद्दे पर विपक्षी दलों की बैठक देर से बुलाई गई, लेकिन इसकी जरूरत भी विपक्ष को शायद सरकारी पहल के बाद ही महसूस हुई हो। इधर कुछ समय से बीजेपी की पहल पर सीएए के समर्थन में प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। पार्टी ने इसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए बाकायदा एक अभियान शुरू किया है।

औपचारिक रूप से नागरिकता संशोधन कानून बीते शुक्रवार से लागू हुआ है। हालांकि विपक्ष शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कह दिया है कि वे अपने राज्य में नया नागरिकता कानून नहीं लागू करने जा रहे हैं। केरल विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव तक पास हो चुका है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की आड़ में 'एनआरसी' पर काम कर रही है। दरअसल विवाद के लिए यहां पर्याप्त गुंजाइश भी छोड़ी गई है। सरकार कह रही है कि नागरिकता कानून का एनआरसी से कोई लेना–देना नहीं है। लेकिन आम आदमी में, खासकर मुसलमानों में यह आशंका घर कर गई है कि जो भी गैर–मुस्लिम एनआरसी से बाहर रह जाएंगे वे नागरिकता कानून के जरिए नागरिकता पा जाएंगे, चाहे वे घुसपैठिये ही क्यों न हों।

इसके विपरीत अगर भारतीय मुसलमान किसी कारणवश अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए सारे कागजात नहीं दिखा पाए तो उनका जीना दूभर कर दिया जाएगा। और बात यहीं तक सीमित नहीं है। देश के तमाम गरीब, कमजोर तबकों के मन में यह डर पैठ गया है कि कागजात न दे पाने के कारण उन्हें भी दर–दर भटकना पड़ सकता है। कई राज्यों में जन्म तिथि या अन्य प्रमाणपत्र बनवाने के लिए लोग अभी से दफ्तरों के सामने भीड़ लगाने लगे हैं। सरकार कह रही है, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई नहीं बताता कि गृहमंत्री ने संसद में जिस एनआरसी की बात कही है, उसके लिए लोगों को क्या–क्या कागजात दिखाने पड़ेंगे।

सरकार के लिए इतना कहना काफी नहीं कि सीएए को लेकर जनता को बरगलाया जा रहा है। उसे इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि उसकी सारी कोशिशों के बाद भी एक बड़े तबके में दुविधा क्यों है। अच्छा होगा कि सरकार इसे नाक का सवाल न बनाए। वैसे भी सीएए को अदालत में चुनौती दी जा चुकी है। कानून के समर्थक और विरोधी, दोनों धैर्य बनाए रखें। संसद के बनाए एक कानून को लेकर देश भर में दो खेमों का टकराव कोई अच्छी बात नहीं।

सूडोकु नवताल- 5222

मध्यम

		5			3			
	2			9	5			
9						6		
			9				3	5
	6						7	
4	8				1		6	2
		7						3
			2	4			9	
			8			2		

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

Jagrutidaur.com, Bangalore

सूडोकु नवताल -5221 का हल

2	7	6	4	9	5	8	1	3
5	8	1	7	2	3	9	6	4
9	3	4	8	1	6	2	5	7
6	5	9	2	4	8	3	7	1
8	4	7	9	3	1	6	2	5
1	2	3	5	6	7	4	9	8
3	6	5	1	8	2	7	4	9
7	9	2	3	5	4	1	8	6
4	1	8	6	7	9	5	3	2

अपना ब्लॉग

शुरू हो रही है चांद पर पांव रखने की होड़

प्रदीप। अब से पचास साल और कुछ महीने पहले 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने जब चंद्रमा पर कदम रखा था, तब उन्होंने कहा था कि 'एक आदमी का यह छोटा–सा कदम मानवता के लिए एक विराट छलांग है।' अपोलो मिशन के तहत अमेरिका ने 1969 से 1972 के बीच चांद की ओर कुल नौ अंतरिक्ष यान भेजे और छह बार इंसान को चांद पर उतारा। अपोलो मिशन खत्म होने के तीन दशक बाद तक चंद्र अभियानों के प्रति एक बेरुखी सी दिखाई दी थी।

मगर चांद की चाहत दोबारा बढ़ रही है। बीता साल चंद्र अभियानों के लिहाज से बेहद खास रहा। 16 जुलाई, 2019 को इंसान के चांद पर पहुंचने की पचासवीं वर्षगांठ थी। जनवरी 2019 में एक चीनी अंतरिक्ष यान चांग ई–4 ने एक छोटे से रोबोटिक रोवर के साथ चांद की दूर वाली सतह पर उतरकर इतिहास रचा।